भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-360
उत्तर दिनांक 12.08.2026 को दिया गया

परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा का उत्पादन

*360. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक जैसे राज्यों सहित देश में ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत परमाणु विद्युत के उत्पादन का विस्तार करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में संस्थापित परमाणु विद्युत क्षमता कितनी है और देश के कुल ऊर्जा मिश्रण में इसका हिस्सा कितना है;

(ग) दक्षिणी क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में निर्माणाधीन और प्रस्तावित परमाणु विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या परमाणु ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) विद्यमान सुरक्षा उपायों और स्थापित विनियामक तंत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने में सहायता करने हेतु परमाणु विद्युत क्षमता में वृद्धि करने से संबंधित रूपरेखा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (च): सदन के पटल पर विवरण प्रस्तुत है।

*****

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग

"परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा का उत्पादन" के संबंध में डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन द्वारा पूछे गए लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 360 के भाग (क) से (च), जिसका उत्तर दिनांक 12.08.2026 को दिया जाना है, के उत्तर में प्रस्तुत विवरण

(क) हां। सरकार ने देश में नाभिकीय विद्युत उत्पादन का विस्तार करने के लिए कदम उठाए हैं, जिसमें कर्नाटक राज्य भी शामिल है, जहां पर चार इकाइयां कैगा-1 से 4 (4 X 220 मेगावाट) प्रचालित हैं और दो और इकाइयां कैगा-5 व 6 (2 X 700 मेगावाट) निर्माणाधीन हैं।

(ख) देश में वर्तमान में स्थापित नाभिकीय विद्युत क्षमता 24 नाभिकीय विद्युत संयंत्रों को मिलाकर 8,780 मेगावाट है। देश के कुल विद्युत उत्पादन में नाभिकीय विद्युत की हिस्सदारी वर्ष 2025-26 में 3.1% रही।

(ग) इसका विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(घ) वर्तमान में विभिन्न चरणों में चल रही निर्माण / कमीशनन अधीन परियोजनाओं और पूर्व-परियोजना गतिविधियों के अधीन परियोजनाओं के क्रमिक पूर्ण होने पर वर्तमान नाभिकीय विद्युत क्षमता 8.78 गीगावाट से बढ़कर वर्ष 2031-32 तक 22 गीगावाट तक पहुंचने की अपेक्षा है।

(ङ) नाभिकीय ऊर्जा के सभी पहलुओं जैसे कि स्थल चयन, डिजाइन, निर्माण, कमीशनन और प्रचालन में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों को अतिरिक्तता, विविधता के संरक्षा सिद्धांतों को अपनाते हुए डिज़ाइन किया गया है और परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) की संहिताओं और संदर्शिकाओं के अनुसार इसमें अतिव्यापी रक्षा-गहन दृष्टिकोण का पालन करते हुए विफल-संरक्षित डिज़ाइन विशेषताएं उपलब्ध कराई गई हैं। बहुस्तरीय संरक्षा समीक्षाओं की एक मजबूत नियामक क्रियाविधि मौजूद है। इनका प्रचालन उच्च योग्य, प्रशिक्षित और लाइसेंस प्राप्त कर्मियों द्वारा सुस्थापित प्रक्रियाओं को अपनाते हुए किया जाता है। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की संरक्षा की आंतरिक रूप से और एईआरबी द्वारा लगातार निगरानी और समीक्षा की जाती है।

(च) नाभिकीय विद्युत क्षमता विस्तार की कार्ययोजना में : (i) वर्तमान में निर्माण / कमीशनन अधीन 13,600 मेगावाट क्षमता प्राप्ति के माध्यम से वर्ष 2031-32 तक लगभग 22,380 मेगावाट का अल्प-कालिक लक्ष्य (ii) केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित विकसित भारत हेतु नाभिकीय ऊर्जा मिशन के अधीन वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट का दीर्घ-कालिक लक्ष्य शामिल हैं, जिसे उच्च-क्षमता वाले रिएक्टरों और स्वदेशी रूप से विकसित लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) के संयोजन से प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा, शांति अधिनियम, 2025 इस कार्ययोजना को पूरा करने के लिए, इस क्षेत्र में निजी भारतीय कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की लाइसेंस प्राप्त भागीदारी को भी सक्षम बनाता है।

*****

अनुलग्नक

निर्माण / कमीशनन अधीन नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं		
स्थान और राज्य	**परियोजना**	**क्षमता (मेगावाट)**
रावतभाटा, राजस्थान	आरएपीपी-8	1 X 700
गोरखपुर, हरियाणा	जीएचएवीपी-1 व 2	2 X 700
कुडनकुलम, तमिलनाडु	केकेएनपीपी-3 व 4	2 X 1000
	केकेएनपीपी-5 व 6	2 X 1000
कैगा, कर्नाटक	कैगा-5 व 6	2 X 700
कल्पाक्कम, तमिलनाडु	पीएफबीआर	1 X 500
पूर्व-परियोजना गतिविधियों के अधीन परियोजनाएं		
गोरखपुर, हरियाणा	जीएचएवीपी-3 व 4	2 X 700
चुटका, मध्य प्रदेश	सीएमपीएपीपी-1 व 2	2 X 700
माही बांसवाड़ा, राजस्थान	एमबीआरएपीपी-1 व 2	2 X 700
	एमबीआरएपीपी-3 व 4	2 X 700
कल्पाक्कम, तमिलनाडु	एफबीआर-1 व 2	2 X 500
प्रस्तावित नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं		
रावतभाटा, राजस्थान	आरएपीपी-9 व 10	2 X 700
काकरापार, गुजरात	केएपीपी-5 व 6	2 X 700
नरौरा, उत्तर प्रदेश	एनएपीपी-3 व 4	2 X 700
सिद्धांतः अनुमोदित स्थल		
जैतापुर, महाराष्ट्र	जेएनपीपी-1 से 6	6 X 1730
कोव्वडा, आंध्र प्रदेश	कोव्वडा-1 से 6	6 X 1208
हरिपुर, पश्चिम बंगाल	हरिपुर-1 से 6	6 X 1000
मिठी विरदी, गुजरात	मिठी विरदी-1 से 6	6 X 1000
भीमपुर, मध्य प्रदेश	भीमपुर-1 से 4	4 X 700

*****